न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 3/2020

कासम पुत्र आमीन जाति मेव निवासी ग्राम कठौल तहसील पहाडी

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत कठौल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कठौल तहसील पहाडी
2. आमीन पुत्र उमर खाँ जाति मेव निवासी ग्राम कठौल तहसील पहाडी

रैस्पोडेन्टस

अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3344
दिनांक 20/06/2007 बांके ग्राम कठौल

1. श्री सतीश बुन्देला वकील अपीलान्ट
2. श्री यशपाल सैनी वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 2

दिनांक :– 06/08/2021

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 2132/0.64 में से खातेदार आमीन पुत्र उमर खाँ 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/4 हिस्सा को जरिये दान पत्र दिनांक 27/06/2007 को कराया था। अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण संख्या 3344 दर्ज करते समय खसरा नम्बर 2132/0.64 के 1/4 हिस्सा यानि 0.16 एयर का नामान्तकरण दर्ज किया जाना था। लेकिन उक्त नामान्तकरण दर्ज करते समय 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा का गलत दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध किया गया है। अपीलान्ट को राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मुतदाविया 2132/0.64 के गलत हिस्से की जानकारी नकल नामान्तकरण दिनांक 10/11/2020 को लेने पर हुई। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन दाखिल खारिज 3344 आदेश दिनांक 20/07/2007 बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपीलान्ट के हिस्से को 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया । रैस्पोडेन्ट संख्या 1 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं आया इनके विरूद्ध दिनांक 31/03/2021 को गैरहाजरी दर्ज की गई। रैस्पोडेन्ट 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया। वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त अपील का जबाब/आपत्ति पेश करना नहीं चाहते है।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 2132/0.64 में से खातेदार आमीन पुत्र उमर खां के 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/4 हिस्से को जरिये दान पत्र दिनांक 27/06/2007 को कराया था । परन्तु नामान्तकरण संख्या 3344 दिनांक 20/07/2007 दर्ज करते समय उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्से का गलत नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मुताबिक दानपत्र दिनांक 27/06/2007 के आराजी खसरा नम्बर 2132/0.64 के 1/2 हिस्सा पर हुये गलत दाखिल खारिज को निरस्त कर पुनः 1/4 हिस्सा पर दाखिल खारिज दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये ।

वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपनी सहमति दी।

हमने बहस वकील फरीकेन सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया संलग्न फोटो प्रति दान पत्र का भी अवलोकन किया उक्त दान पत्र में खातेदारान आमीन पुत्र उमर खां द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2132/0.64 बांके ग्राम कठौल में से 1/2 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 1/4 हिस्सा का दान पत्र अपीलान्ट आसम पुत्र आमीन जाति मेव निवासी ग्राम कठौल के पक्ष में दिनांक 27/06/2007 को किया था। परन्तु नामान्तकरण दर्ज करते समय उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज कर दिया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 3344 दिनांक 20/07/2007 आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत कठौल निरस्त किया जाता है । पत्रावली तहसीलदार पहाडी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे दान पत्र दिनांक 27/06/2007 के मुताबिक उभयपक्षकारान को सुनकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner